न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 25/2023 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
तिलाराम पुत्र मजनाराम जाति भील, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. कोजाराम पुत्र सेउराम जाति भील, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. कम्मीरखान पुत्र आमदखान 3. चनेशर खान पुत्र आमदखान 4. जिराजखान पुत्र मोहम्मद खान 5. मरबत पत्नी लतीफखान 6. रेसमा पत्नी मोयबखान 7. सभाई पत्नी जुसबखान 8. सुभान पुत्र आमदखान 9. हसन खान पुत्र मोहम्मद खान 10. कासमखान पुत्र मुबारकखान 11. दीन मोहम्मद पुत्र अमर 12. फोटणखान पुत्र मुबारकखान 13. सुरेखान पुत्र मुबारकखान 14. सलीमखान पुत्र मुबारकखान 15. हलीमा पत्नी मुबारकखान 16. जमाली पत्नी हुसैनखान 17. नियालो पत्नी अलीखान 18. हुसैनखान पुत्र अलीखान जाति मुसलमान, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 19. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव 20. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव

उपखण्ड अधिकारी, शिव / सत्यमेव जयते / जिला-बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थी — श्री अभयसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 21.08.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1189/907 रकबा 3.0999 हैक्टेयर मौजा जोरानाडा, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 907/668, 989/730, 909/689, 971/729, 982/729, 984/729 की भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता एकमात्र विकल्प है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे ग्राम शिव से नागड़दा जाने वाली डामर सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा जोरानाडा में विप्रार्थी संख्या 10 से 15 के खसरा नम्बर 909/689 रकबा 6.8958 हैक्टेयर में से रकबा 0.3238 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 10, 12 से 15 व 17 तथा 18 के खसरा नम्बर 984/729, 982/729 रकबा क्रमशः 1.9101,

उपखण्ड अधिकारी (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

1.6673 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0081, 0.0081 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 16 के खसरा नम्बर 981/729 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से रकबा 0.01618 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 9 के खसरा नम्बर 989/730 रकबा 12.1406 हैक्टेयर में से रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 907/688 रकबा 3.0918 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण रास्ते में उपयोग होने वाली भूमि के बदले प्रतिफल राशि देने बाबत् सहमत है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में विप्रार्थी संख्या 10 से 15 के खसरा नम्बर 909/689 रकबा 6.8958 हैक्टेयर में से रकबा 0.3238 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 10, 12 से 15 व 17 तथा 18 के खसरा नम्बर 984/729, 982/729 रकबा क्रमशः 1.9101, 1.6673 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0081, 0.0081 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 16 के खसरा नम्बर 981/729 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से रकबा 0.01618 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 9 के खसरा नम्बर 989/730 रकबा 12.1406 हैक्टेयर में से रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 907/688 रकबा 3.0918 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर भूमि में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो खातेदारी खसरा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 335 रकबा 0.6151 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प उपलब्ध होना नहीं बताया गया है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं एकमात्र विकल्प है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है तथा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1189/907 रकबा 3.0999 हैक्टेयर मौजा जोरानाडा, पटवार मण्डल शिव, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 10 से 15 के खसरा नम्बर 909/689 रकबा 6.8958 हैक्टेयर में से रकबा 0.3238 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 10, 12 से 15 व 17 तथा 18 के खसरा नम्बर 984/729, 982/729 रकबा क्रमशः 1.9101, 1.6673 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0081, 0.0081 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 16 के खसरा नम्बर 981/729 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से रकबा 0.01618 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 9 के खसरा नम्बर 989/730 रकबा 12.1406 हैक्टेयर में से रकबा 0.0081 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 907/688 रकबा 3.0918 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर भूमि में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो खातेदारी खसरा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 335 रकबा 0.6151 हैक्टेयर में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner